



2

टी0ए0 मिस केस सं0 09/2018-19

आदेश दिनांक  
गई कार्यालय  
संज्ञित दिनांक  
एवं तारीख

29 05  
19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक मधु बानरा, पिता- स्व0 शंकर बानरा, ग्राम- टोन्टो, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- टोन्टो, थाना न0 - 650, खाता न0- 83, प्लॉट न0- 2779, रकवा- 0.09 एकड़ भूमि केता टोपरोया बोदरा, पिता- स्व0 लादुरा बोदरा, ग्राम- भोया, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। बिक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 342, दिनांक 7.05. 2019 के द्वारा कुर्सीनामा तथा बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को केता टोपरोया बोदरा, पिता- स्व0 लादुरा बोदरा, ग्राम- भोया, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 1,53,000/- (एक लाख तिरपन हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास अवशेष भूमि 2.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण - पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता मधु बानरा, पिता- स्व0 शंकर बानरा, ग्राम- टोन्टो, केता टोपरोया बोदरा, पिता- स्व0 लादुरा बोदरा, ग्राम- भोया, थाना मुफ्फसिल के पास जमीन को कुल 1,53,000/- (एक लाख तिरपन हजार) रुपय में मौजा- टोन्टो, थाना न0 - 650, खाता न0- 83, प्लॉट न0- 2779, रकवा- 0.09 एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति जाती है।</p>	
	<p>लेखापित</p> <p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	<p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>